



भारत में डेटा गवर्नेंस

प्रलिस के लयः

[DPDP 2022](#), GDPR, सूचना प्रौद्योगकी (मध्यवर्ती दशा-नरदेश और डजलल मीडया आचार संहला), नयल 2021, 'डजलल इंडया अधनलयल', 2023 का प्रस्ताव


मेन्स के लयः

भारत में डेटा गवर्नेंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ संसद के मानसून सत्र में पेश करने हेतु [ड्राफ्ट डजलल प्रसनल डेटा प्रोटेकशन बलल \(DPDP\), 2022](#) को स्वीकृता दी है, जसमें डेटा प्रोसेसल के लयल सहमता की उमर कम करना तथा कुछ कंपनयों के लयल छूट प्रदान करना शामिल है।

- यदयह पारतल हो जाता है तो सर्वोच्च नयायालय द्वारा नजला को मौलकी अधकार घोषतल करने के छह वर्ष पश्चात् यह कानून भारत का **मुख्य डेटा प्रशासन ढांचा** बन जाएगा।
- यह वधयक तेज़ी से बढ़ते डजलल पारसथतलकी तंत्र की रूपरेखा प्रदान करने के लयल आईटी और दूरसंचार क्शेत्रों में प्रस्तावतल चार कानूनों में से एक है। अन्य तीन वधयक इस प्रकार हैं:
 - [डजलल इंडया वधयक](#): इसका उद्देश्य [सूचना प्रौद्योगकी अधनलयल, 2000](#) को प्रतसथापतल करना है।
 - [भारतीय दूरसंचार वधयक, 2022](#): दूरसंचार क्शेत्र से संबधतल एक नवीन वधयक।
 - [गैर-व्यक्तगत डेटा प्रशासन नीता](#): ऐसी नीता जो गैर-व्यक्तगत डेटा को नयंत्रतल करने पर आधारतल है।



अपेक्षित परिवर्तन:

■ सहमत की आयु न्यूनतम करना:

- वधियक में सहमत की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के डेटा के प्रसंस्करण के लिये माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।
- आगामी वधियक एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाएगा, जिससे सहमत की उम्र के लिये मामले-दर-मामले निर्धारण की अनुमति मिलेगी।
 - यह परिवर्तन सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चर्चाओं को संबोधित करता है, जिन्होंने यह तर्क दिया था कि सहमति की एक निश्चिंत आयु उनके संचालन को बाधित करेगी जो 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं पर लक्षित सेवाओं में बाधा उत्पन्न करेगी।
- यह यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा सुरक्षा नयियों के अनुरूप है, जहाँ सहमत की न्यूनतम उम्र निर्धारित है।

■ बच्चे और छूट की परिभाषा:

- बच्चे की परिभाषा में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
 - वर्ष 2022 के मसौदे में बच्चे की परिभाषा "वह व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो" थी।
- बच्चों के डेटा से जुड़ी गतिविधियों वाली कुछ संस्थाओं को माता-पिता की सहमति प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है यदि वे सत्यापन योग्य सुरक्षित डेटा प्रोसेसिंग प्रथाओं का प्रदर्शन कर सकें।
 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, IT मंत्रालय के सहयोग से बच्चों को छूट देने के लिये प्लेटफॉर्मों के गोपनीयता मानकों का मूल्यांकन करेगा।

■ सीमा पार डेटा प्रवाह पर छूट:

- आगामी वधियक में सीमा पार डेटा प्रवाह में और अधिक छूट प्रदान की गई है, जो एक्वाइट लसिंग से ब्लैक लसिंग प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है।
 - बलि वैश्विक डेटा को उन देशों की निर्दिष्ट नकारात्मक सूची के अलावा सभी न्यायालयों में डिफॉल्ट रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है जहाँ ऐसे हस्तांतरण प्रतिबंधित होंगे।
- इस परिवर्तन का उद्देश्य व्यवसायों के लिये प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में डेटा स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना है।

डेटा गवर्नेंस के संबंध में वैश्विक नियम:

■ यूरोपीय संघ (EU) के सामान्य डेटा संरक्षण विनियम (GDPR):

- GDPR व्यक्तित्व डेटा के प्रसंस्करण के लिये एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
- यूरोपीय संघ में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहित है जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करना चाहता है।
- GDPR द्वारा लगाए गए जर्मने ने विश्व भर के संगठनों को अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित किया है। गूगल, व्हाट्सएप्प, ब्रिटिश एयरवेज़ और मैरिडि सहाय प्रसिद्ध कंपनियों को पर्याप्त जर्मने का सामना करना पड़ा है।

- इसके अलावा तीसरे देशों में डेटा ट्रांसफर के संबंध में GDPR के सख्त मानदंडों का यूरोपीय संघ से परे डेटा सुरक्षा ढाँचे पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
- अमेरिका में डेटा गवर्नेंस:
 - अमेरिका में गोपनीयता अधिकारों या सदिधांतों का कोई व्यापक सेट नहीं है, जो EU के GDPR की तरह डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण को संबोधित करता हो।
 - इसके बजाय क्षेत्र-वशिष्ट वनियमन सीमिति है। सार्वजनिक और नजी क्षेत्रों का डेटा सुरक्षा के प्रतदृष्टिकोण अलग-अलग है।
 - गोपनीयता अधनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधनियम आदि जैसे व्यापक कानून, व्यक्तगत जानकारी के संबंध में सरकार के कार्यों और प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परभाषति करते हैं।
 - नजी क्षेत्र के लयि कुछ क्षेत्र-वशिष्ट मानदंड नरिधारति कयि गए हैं।
- चीन में डेटा गवर्नेंस:
 - व्यक्तगत सूचना संरक्षण कानून (Personal Information Protection Law- PIPL) चीनी व्यक्तियों को व्यक्तगत डेटा की सुरक्षा संबंधी नवीन अधिकार प्रदान करता है।
 - डेटा सुरक्षा कानून व्यावसायिक डेटा को उनके महत्त्व के आधार पर वर्गीकृत करता है और सीमा पार हस्तांतरण पर प्रतबिंध लगाता है। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तगत डेटा के दुसुपयोग को रोकना है।

भारत में डेटा गवर्नेंस से संबंधति चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त जागरूकता:
 - डेटा सुरक्षा के महत्त्व और डेटा उल्लंघनों से जुड़े संभावति जोखमिों के बारे में व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच सीमिति समझ।
- कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र:
 - भारत में डेटा सुरक्षा से संबंधति मौजूदा कानूनी ढाँचे में अनुपालन को लागू करने के लयि मज़बूत तंत्र का अभाव है। इस कारण डेटा उल्लंघनों और डेटा सुरक्षा नयिमों का अनुपालन न करने वाले संगठनों को ज़मिमेदार ठहराना मुश्कलि हो जाता है।
- मानकीकरण का अभाव:
 - भारत में डेटा सुरक्षा नयिमों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा संगठनों के बीच मानकीकृत प्रथाओं की अनुपलब्धता है। डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में एकसूता की कमी लगातार डेटा सुरक्षा प्रथाओं को स्थापति करने और उनका पालन करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- संवेदनशील डेटा के लयि अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:
 - भारत में मौजूदा डेटा सुरक्षा ढाँचा संवेदनशील डेटा, जैसे- स्वास्थ्य डेटा और बायोमेट्रिक डेटा के लयि पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में वफिल है।
 - जैसे-जैसे संगठन तेज़ी से इस प्रकार के डेटा एकत्र कर रहे हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी चति का वषिय बनती जा रही है।

भारत में डेटा प्रशासन संबंधी नयिम:

- सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधनियम, 2008
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटलि मीडिया आचार संहति) नयिम, 2021
- आईटी अधनियम, 2000 के स्थान पर अब 'डजिटलि इंडिया अधनियम', 2023 का प्रस्ताव
- न्यायमूर्तिके.एस. पुट्टास्वामी (सेवानवित्त) बनाम भारत संघ 2017
- बी.एन. श्रीकृष्ण समति 2017

आगे की राह

- सरकार को डेटा सुरक्षा को प्राथमकिता देने में उदाहरण प्रसतुत करने चाहयि क्योकि यह डेटा प्रत्ययी और प्रोसेसर के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभािता है।
- प्रभावी प्रशासन के साथ डेटा सुरक्षा नयिमों को लागू करने के लयि संसदीय या न्यायकि नगिरानी के साथ एक स्वतंत्र और सशक्त डेटा सुरक्षा बोर्ड बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- व्यक्तगत डेटा की सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लयि सख्त नयिमों के बीच सही संतुलन बनाना आवश्यक है। अत्यधिक नरिदेशात्मक एवं प्रतबिधात्मक मानदंड नवाचार तथा सीमा पार डेटा प्रवाह को बाधति कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षति है?(2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

व्याख्या:

पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017 में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

प्रश्न. नजिता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में नमिन्लखित में से कौन-सा उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- (d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिये। (2017)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/data-governance-in-india>